

समस्त इलैक्ट्रोहॉम्योपैथी चिकित्सक

सभी इलैक्ट्रोहॉम्योपैथी चिकित्सकों को अवगत कराया जाता है कि सभी इलैक्ट्रोहॉम्योपैथी चिकित्सक अपनी पैथी इलैक्ट्रोहॉम्योपैथी कि औषधियो से ही रोगियो का उपचार करे

इलैक्ट्रोहॉम्योपैथी मे चिकित्सा अभ्यास करने पर शासकीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं है इस सम्बन्ध मे भारत सरकार , राज्य सरकार माननीय सूप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशो, चिकित्सा महानिदेशक सुवास्थ्य सेवाए लखनऊ, प्रिंसिपल सुवास्थ्य सचिव लखनऊ आदि के आदेशो के अनुसार इलैक्ट्रोहॉम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा अभ्यास करने का पूर्ण अधिकार है

इलैक्ट्रोहॉम्योपैथी चिकित्सक किसी अन्य चिकित्सा पैथी मे प्रक्टिस नहीं करे वह पूर्ण रूप से गलत(क्रोसोपैथी)होगी और इस पर सरकारी अधिकारियों को आपत्ति होगी वोआपके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हे इस लिए इलैक्ट्रोहॉम्योपैथी कि औषधियो से ही रोगियो का उपचार करे जिस से इलैक्ट्रोहॉम्योपैथी चिकित्सकों किसी भी तरह कि चिकित्सा अभ्यास करने परेशानी न हो